कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

क्रमांकः मु.अ./अनु.ग्यारह/2016–17/डी–540 दिनांकः 02/09/16

परिपत्र

विषयः– ई–प्रोक्योरमेंट उपापन के तहत संकर्मों के उपापन हेतु निविदा की राशि रूपये 5.00 लाख करने बाबत।

प्रसंग– शासन सचिव, वित्त (जी एण्ड टी) विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प.1(8) एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2011 जयपुर, दिनांक 31.08.2016।

विशिष्ट शासन सचिव, वित्त(जी एण्ड टी) विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प.1(8) एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2011 जयपुर, दिनांक 17.09.2015 के तहत ई–प्रोक्योरमेंट उपापन हेतु निम्नानुसार प्रावधान रखा गया थाः–

1. पच्चीस लाख रूपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले माल और सेवाओं के उपापन।
2. दस लाख रूपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले संकर्मों के उपापन।

शासन सचिव, वित्त(जी एण्ड टी) विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प.1(8) एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2011 जयपुर, दिनांक 31.08.2016 के तहत ई–प्रोक्योरमेंट उपापन हेतु दिनांक 01.09.2016 से प्रभावी करते हुये निम्नानुसार प्रावधान रखा गया हैः–

1. दस लाख रूपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले माल और सेवाओं के उपापन।
2. पांच लाख रूपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले संकर्मों के उपापन।

अतः सभी अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में ई–प्रोक्योरमेंट उपापन हेतु दिनांक 01.09.2016 से शासन सचिव, वित्त(जी एण्ड टी) विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प.1(8) एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2011 जयपुर, दिनांक 31.08.2016 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत ही कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

2.9.2016

(शिव लहरी शर्मा)
मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

क्रमांकः मु.अ./अनु.ग्यारह/2016–17/डी–540 दिनांकः 02/09/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव/वरिष्ठ निजी सहायक मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार, सा.नि.वि., राज., जयपुर।
2. निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता (भवन/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस./पथ/यांत्रिक), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि., (समस्त), राज.।
4. तकनीकी सहायक प्रथम/अधीक्षण अभियन्ता (भवन/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस/यातायात/पथ/बी.ओ.टी./मैकेनिकल), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (समस्त वृत–कार्यालय), सा.नि.वि., राज.।
6. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (समस्त), सा.नि.वि., राज.।
8. सिस्टम एनालिस्टि, सा.नि.वि., जयपुर को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने बाबत।
9. रक्षित पत्रावली।

02/9/16

(आलोक माथुर)
वित्तीय सलाहकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर